F-13-16/2016/d1-4

विषय— डब्ल्यू पी कमांक 20230 / 2015— संजय पाण्डे विरुद्ध मध्यप्रदेश अपसने (नःप्र.वन कर्मचारी संघ भोपाल)

कृपया अवलोकन हो । मा० उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, जबलपुर के समक्ष डब्ल्यू पी कमांक 20230/2015- संजय पाण्डे विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन (म.प्र.वन कर्मचारी संघ, भीपाल) मध्यप्रदेश शासन व अन्य की दायर की गई है। कृपया प्रकरण में प्रत्यावर्तन प्रस्तुत करने एवं शासन का पक्ष रखने हेतु असि रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ जबलपुर को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने एवं शासकीय अधिवक्ता को नियुक्त हेतु विधि विभाग को लिखा जाना प्रस्तावित है । याचिका एवं आदेश की स्वच्छ प्रतियां सलग्न हैं।

रजिस्ट्रार,

डिप्टी रजिस्ट्रार

उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

छब्बोस-२ सचिवालय

विषय:

एफ-13-10/2016/बी-ग्यारह

विषय:- रिट पिटीशन कं.-20230/2015-संजय पाण्डे विरुद्ध म. प्र. शासन एवं अन्य।

पूर्व पृष्ठ से:-

कृपया पूर्व पृष्ठ का अवलोकन करें। रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें, म.प्र, भोपाल द्वारा प्रेषित प्रस्ताव अनुसार प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश की स्वच्छ प्रतियां अनुमोदनार्थ/हस्ताक्षारार्थ प्रस्तुत है।

8/2/16

MIN Maner

913/16

83/27

776

उन्मात के अमिताल अधिया जी विके जाने हा नामी कृपण कि विकास की अभिन निर्व जीक हिंद्र प्रसान ही

050CZ)

त्रिक क्षेत्र किय

a 14/3

ापा और (क्रांबिज आद्यान) हुए संविव

= 10 pt 0/10 pt 10 pt 10

UO-No-65/2016/

7768

का विभाग

0

**उब्बीस-२ सचिवालय** 

विषय: एफ-13-10/2016/बी-ग्यारह

का विभाग

विषय :- रिट पिटीशन कं.-20230 / 2015-संजय पाण्डे विरूद्ध म. प्र. शासन एवं अन्य।

पूर्व पृष्ठ से:-

पर रखी है।

व्यानिषम उद्योग भीर-

( केमके तास किए) क्रिके स्विन्द्र विद्यितमा



## IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 19280/2016

WP/20230/2015

From

Kishore Pithawe Deputy Registrar, High Court of Judicature at Jabalpur for Adm and Relief Fixed for 17-03-2016

WP-DA-18

Respondent No. 1

To,

The State Of Madhya Pradesh, Commerca Ladu Thr. Principal Secretary Vallabh Bhawan Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Jabalpur 03-02-2016

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 20230/ 2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Sanjay Pandey** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/20230/2015** 

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 17-03-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition

Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR

## मध्यप्रदेश शासन वाणिज्य,उधोग और रोजगार विभाग मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक<sup>0</sup> 9 /3 / 2016

क्रमांक एफ-13-10/2016/बी-ग्यारहः सिविल प्रकिया संहिता 1908 (1908 का अधिनियम संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें, जबलपुर को (पक्षकारों के नाम) डब्ल्यू पी. नं. 20230/2015-संजय पाण्डे विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य (म.प्र. वन कर्मचारी संघ, भोपाल) में मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उप संजात होने के लिए नियुक्त करते है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्यप्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्ति के तुरंत पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्योरे नीचे दिये गये है निम्नलिखित कार्य करेगा:-

प्रभारी अधिकारी,मामले के तथ्यों के बारे में तुरंत ऐसी जांच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाए गए समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन हेतु महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जाएगी।

2. समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाए तथा आदेश एकत्रित करेगा।

- वाद पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे की शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुंचने की संभावना है, कि एक रिपोर्ट तैयार करें।
- उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से सम्पर्क करें।
- शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन / उत्तर तैयार करवायें।

प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा:-

(क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।

(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।

(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची, जिन्हें साक्ष्य फाईल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।

(घ) मामले के विशदीकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियों इसमें वाद की

सुनवाई की तारिख भी वर्णित होनी चाहिए।

 मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रकम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।

8. जब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्टतया म.प्र. राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।

 अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजेगा।

10 यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रति प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो। गंते ही उसे स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है। वह अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा विह वर्तमान पद का भार सौप देने के पश्चात् भी तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।

 प्रभारी अधिकारी, मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज

अप्रकटित / छुपी नहीं रह जाए।

13. प्रभारी अधिकारी, का यदि लोक अभियोजनक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को करेगा। निर्णय की एक प्रति भी प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।

14. प्रभारी अधिकारी, या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद के प्रकरण में पारित किये गये किसी अन्य अन्तरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है। समय पर कार्यवाही की गई है। अतः वह उस आदेश की प्रति जैसे ही पारित किया जाय विभागाध्यक्ष के माध्यम

से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार(प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करे। यदि प्रतिवादियों की सूची में मुख्य सचिव का नाम अंकित है तो प्रभारी अधिकारी प्रतिवादियों

की सूची से मुख्य सचिव का नाम विलोपित करने की कार्यवाही करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(अनिल भारतीय) उप सचिव मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग

पृष्ठा. कमांक एफ-13-10/16/बी-ग्यारह प्रतिलिपि:-

15.

भोपाल, दिनांक 9/3/2016

 महाधिवक्ता / अतिरिक्त महाधिवक्ता / उप महाधिक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर / इन्दौर / ग्वालियर।

प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।

रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग